तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम को तामिल में जारी हुआ
10.01.2017	सायल की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम उपस्थित। गैर सायल को गिरफतार कर पेश नहीं किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल को दिनांक 10.2.2011, 17.02.2011 एवं 19.10.2012, 04.12.2012 एवं 01.01.2013 को नोटिस जारी करने एवं दिनांक 1.12.2014 व 30. 8.2016 से गिरफ्तारी वारन्ट जारी करने के उपरान्त भी गिरफतार कर न्यायालय में पेश नहीं किया गया। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को पत्र संख्या 1919 दिनांक 25.5.2015 पत्र संख्या 48 दिनांक 24.6.2015, 321 दिनांक 29.6.2016, अ.शा. पत्र संख्या 446 दिनांक 30.8.2016 एवं अ.शा.पत्र संख्या 530 दिनांक 28.9.2016 से लगातार लिखे जाने के उपरान्त भी गैर सायल को न्यायालय में पेश नहीं किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस एवं गिरफतारी वारन्ट पर तामिल कुनन्दा की रिपोर्ट में 5–6 वर्षो से बाहर रहना बताया गया। राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में गैर सायल को तड़ीपार/जिलाबदर करने का प्रावधान है। गैर सायल 5–6 वर्षो से बाहर रहने एवं पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश नहीं करने के फलस्वरूप जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा गैर सायल के विरूद्व उक्त अधिनियम में पेश उक्त आवेदन पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अपर जिला मजिस्ट्रेट (ए.डी.एम.)बाड़मेर	